

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2021—ज्येष्ठ 7, शक 1943

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कृष्ण कुमार आत्मज श्री श्याम सुन्दर तिवारी, उम्र 39 वर्ष, निवासी-प्लॉट नं.-14-15, ख. नं.- 619/25, वार्ड नं.-61, दया नगर, स्वदीप गैस एजेन्सी के पास, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भारत सरकार से संबद्ध गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस व मतदाता परिचय पत्र में मेरा वास्तविक नाम दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र व कक्षा पहली से पांचवी तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में कृष्णा तिवारी दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे कृष्ण कुमार (Krishan Kumar) आत्मज श्री श्याम सुन्दर तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

#### पुराना नाम

कृष्णा तिवारी  
पिता-श्री श्याम सुन्दर तिवारी  
निवासी-प्लॉट नं.-14-15,  
ख. नं.- 619/25, वार्ड नं.-61,  
दया नगर, स्वदीप गैस एजेन्सी के पास,  
रिसाली, भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

#### नया नाम

कृष्ण कुमार  
(Krishan Kumar)  
पिता-श्री श्याम सुन्दर तिवारी  
निवासी-प्लॉट नं.-14-15,  
ख. नं.- 619/25, वार्ड नं.-61,  
दया नगर, स्वदीप गैस एजेन्सी के पास,  
रिसाली, भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती लता बाई साहू ध. प. श्री विमल साहू, उम्र 38 वर्ष, जाति तेली, निवासी-ग्राम-अरसनारा, पोस्ट-नंदकट्टी, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम लता बाई साहू है, किन्तु मेरे पुत्र के कक्षा पहली से पांचवी तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम लता साहू व कक्षा आठवीं से दसवीं तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा घरेलू नाम विनीता साहू दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मैं अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती लता बाई साहू ध. प. श्री विमल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

| पुराना नाम                                                                                                                    | नया नाम                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीमती लता साहू<br>विनीता साहू<br>पति-श्री विमल साहू<br>निवासी-ग्राम-अरसनारा,<br>पोस्ट-नंदकट्टी,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | श्रीमती लता बाई साहू<br>पति-श्री विमल साहू<br>निवासी-ग्राम-अरसनारा,<br>पोस्ट-नंदकट्टी,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शबाना परवीन ध. प. इम्दादुल्लाह, उम्र 35 वर्ष, निवासी-102/ए, एच. एस. सी. एल. कालोनी, रूआबांधा सेक्टर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति का वास्तविक नाम इम्दादुल्लाह है जो कि उनके व मेरे पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उनका घरेलू नाम आजाद अली दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर, उनके वास्तविक नाम को समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को मोहम्मद कोनैन आलम आत्मज इम्दादुल्लाह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

| पुराना नाम                                                                                                                              | नया नाम                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मोहम्मद कोनैन आलम<br>पिता-आजाद अली<br>निवासी-102/ए, एच.एस.सी.एल. कालोनी,<br>रूआबांधा सेक्टर, रिसाली, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | मोहम्मद कोनैन आलम<br>पिता-इम्दादुल्लाह<br>(Imdadullah)<br>निवासी-102/ए, एच.एस.सी.एल. कालोनी,<br>रूआबांधा सेक्टर, रिसाली, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अखिल चंद्राकर आत्मज श्री एफ. एल. चंद्राकर, उम्र 56 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी-एम. आई. जी.-760, पद्मनाभपुर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं कार्यालय नगर निगम भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अखिल कुमार चंद्राकर तथा मेरे सर्विस के पहचान पत्र व मतदाता परिचय पत्र में अखिलेश चंद्राकर दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम अखिल चंद्राकर रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे अखिल चंद्राकर आत्मज श्री एफ. एल. चंद्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

#### पुराना नाम

अखिल कुमार चंद्राकर  
अखिलेश चंद्राकर  
पिता- श्री एफ. एल. चंद्राकर  
निवासी-एम. आई. जी.-760,  
पद्मनाभपुर, दुर्ग,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

#### नया नाम

अखिल चंद्राकर  
पिता- श्री एफ. एल. चंद्राकर  
निवासी-एम. आई. जी.-760,  
पद्मनाभपुर, दुर्ग,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मधुसूदन यादव आत्मज श्री राम चन्द्र, उम्र 33 वर्ष, जाति यादव, निवासी-मकान नंबर-42/491, सुराकछार बस्ती, वार्ड नंबर 56, पो. भैरोताल, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, पैनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम मधु लाल तथा मतदाता परिचय पत्र में मधुलाल यादव दर्ज है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम मधुसूदन यादव रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे मधुसूदन यादव आत्मज श्री राम चन्द्र के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

#### पुराना नाम

मधु लाल,  
मधुलाल यादव,  
पिता-श्री राम चन्द्र  
निवासी-मकान नंबर-42/491,  
सुराकछार बस्ती, वार्ड नंबर 56,  
पो.-भैरोताल,  
तहसील-कटघोरा  
जिला-कोरबा (छ. ग.)

#### नया नाम

मधुसूदन यादव  
पिता-श्री राम चन्द्र  
निवासी-मकान नंबर-42/491,  
सुराकछार बस्ती, वार्ड नंबर 56,  
पो.-भैरोताल,  
तहसील-कटघोरा  
जिला-कोरबा (छ. ग.)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामशरण आत्मज श्री रामसजन, उम्र 40 वर्ष, निवासी-क्वा. नंबर-3 बी, सड़क नंबर-23, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम तनय राज चौधरी है जो कि उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु उसके जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम तनय चौधरी उर्फ आदर्श दर्ज है जिसे परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को तनय राज चौधरी आत्मज श्री रामशरण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

#### पुराना नाम

तनय चौधरी उर्फ आदर्श  
पिता- श्री रामशरण  
निवासी-क्वा. नंबर-3 बी,  
सड़क नंबर-23,  
सेक्टर-7, भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

#### नया नाम

तनय राज चौधरी  
पिता- श्री रामशरण  
निवासी-क्वा. नंबर-3 बी,  
सड़क नंबर-23,  
सेक्टर-7, भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिखर सिंह आत्मज श्री सुबोध सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी-111, सड़क-6, जोन नं.-2/एफ, आदर्श नगर, वार्ड नं.-52, बोरसी रोड, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम शिखर सौरभ जार्ज आ. सुबोध जार्ज सिंह था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड में दर्ज है जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम श्री सुबोध सिंह है जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम शिखर सिंह रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे शिखर सिंह आत्मज श्री सुबोध सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

#### पुराना नाम

शिखर सौरभ जार्ज  
पिता-श्री सुबोध जार्ज सिंह  
निवासी-111, सड़क-6,  
जोन नं.-2/एफ, आदर्श नगर,  
वार्ड नं.-52, बोरसी रोड, दुर्ग,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

#### नया नाम

शिखर सिंह  
पिता-श्री सुबोध सिंह  
निवासी-111, सड़क-6,  
जोन नं.-2/एफ, आदर्श नगर,  
वार्ड नं.-52, बोरसी रोड, दुर्ग,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हर्षिता उल्फस आत्मजा श्री उल्फस हैरी, उम्र 21 वर्ष, निवासी-हाउस क्रमांक 13/27, इस्पात नगर रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम हर्षिता उल्फस है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, व पासपोर्ट में दर्ज है, किन्तु मेरे जन्म प्रमाण पत्र व समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा लघु नाम यू. हर्षिता (U. Harshitha) दर्ज है जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे हर्षिता उल्फस (Harshitha Ulphas) आत्मजा श्री उल्फस हैरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

### पुराना नाम

यू. हर्षिता  
(U. Harshitha)  
पिता-श्री उल्फस हैरी  
निवासी-हाउस क्रमांक 13/27,  
इस्पात नगर रिसाली, भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

### नया नाम

हर्षिता उल्फस  
(Harshitha Ulphas)  
पिता-श्री उल्फस हैरी  
निवासी-हाउस क्रमांक 13/27,  
इस्पात नगर रिसाली, भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रत्ना सिंह चौहान ध. प. श्री अरूण सिंह चौहान, उम्र 51 वर्ष, जाति क्षत्रिय, निवासी-हाउस नम्बर 1/284, नन्दकिशोर विहार, 27 खोली, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम रत्ना सिंह चौहान है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रत्ना सिंह तथा उसके पासपोर्ट में रत्ना देवी चौहान दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती रत्ना सिंह चौहान ध. प. श्री अरूण सिंह चौहान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

### पुराना नाम

रत्ना देवी चौहान  
रत्ना सिंह  
पति-श्री अरूण सिंह चौहान  
निवासी- हाउस नम्बर 1/284,  
नन्दकिशोर विहार,  
27 खोली, बिलासपुर,  
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

### नया नाम

श्रीमती रत्ना सिंह चौहान  
पति-श्री अरूण सिंह चौहान  
निवासी- हाउस नम्बर 1/284,  
नन्दकिशोर विहार,  
27 खोली, बिलासपुर,  
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

### उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मंजू शर्मा ध. प. श्री अजय गौतम, उम्र 33 वर्ष, निवासी-1059, सेक्टर 1, शिवानंद नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम मंजू बाला था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम बाला को परिवर्तित कर अन्य उपनाम “शर्मा” जोड़कर नया नाम मंजू शर्मा रख ली हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती मंजू शर्मा (Smt. Manju Sharma) ध. प. श्री अजय गौतम (Shri Ajay Gautam) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

| पुराना नाम                                                                                                                                               | नया नाम                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मंजू बाला<br>(Manju Bala)<br>पति-श्री अजय गौतम<br>(W/o- Shri Ajay Gautam)<br>निवासी-1059, सेक्टर 1,<br>शिवानंद नगर, रायपुर,<br>तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) | श्रीमती मंजू शर्मा<br>(Smt. Manju Sharma)<br>पति-श्री अजय गौतम<br>(W/o- Shri Ajay Gautam)<br>निवासी-1059, सेक्टर 1,<br>शिवानंद नगर, रायपुर,<br>तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) |

### उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रूपाली महाजन ध. प. श्री योगेश कुमार, उम्र 30 वर्ष, निवासी-हरिनगर, एस. ए. एफ. लाईन, कातुलबोर्ड, वार्ड नंबर-57, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम श्लोक महाजन है जो कि उसके आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, मेरे पति 22 आर. आर. बटालियन सेना, श्रीनगर जिला सोपोर में कार्यरत हैं। उनके सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम श्लोक दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर उसके वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को श्लोक महाजन आत्मज श्री योगेश कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

| पुराना नाम                                                                                                                  | नया नाम                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्लोक<br>पिता-श्री योगेश कुमार<br>निवासी-हरिनगर, एस. ए. एफ. लाईन,<br>कातुलबोर्ड, वार्ड नंबर-57,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | श्लोक महाजन<br>पिता-श्री योगेश कुमार<br>निवासी-हरिनगर, एस. ए. एफ. लाईन,<br>कातुलबोर्ड, वार्ड नंबर-57,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## विविध

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ. ग.)

बुनकर संघ भवन, स्टेशन रोड, संतरा बाड़ी, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्रमांक/उपदु/परिसमापन/2021/271.—जय शीतला खनिज खदान सहकारी समिति मर्यादित, रीवागहन, पंजीयन क्रमांक 2700 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपदु/परिसमापन/2017/2049 दुर्ग, दिनांक 10-10-2017 के द्वारा श्री अमित श्रीवास्तव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पाटन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

उक्त संस्था के परिसमापक श्री अमित श्रीवास्तव, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं संतुष्ट हूँ और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है।

अतएव मैं बिनोद कुमार बुनकर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ/15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ की शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत जय शीतला खनिज खदान सहकारी समिति मर्यादित, रीवागहन, पंजीयन क्रमांक 2700 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करता हूँ और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23-2-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है।

**बिनोद कुमार बुनकर**  
उप पंजीयक.